न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 119 / 2020 दायर दिनाँक 09.07.2020

वादी

1. गोविन्दलाल सोनी पुत्र श्री गणपतलाल उम्र 52 वर्ष, जाति सोनी निवासी शिव कॉलोनी नागौर रोड़, डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. रजाक पुत्र अब्दुल रहमान
2. सलीम पुत्र अब्दुल रहमान (फौत)
2/1 मुन्नी पत्नि सलीम
2/2 अकबर अली पुत्र सलीम
2/3 मो0 रहमान पुत्र सलीम
2/4 मो0 सकील पुत्र सलीम
2/5 सदाम पुत्र सलीम
2/6 हीना पुत्री सलीम
2/7 रूकसार पुत्री सलीम
3. कासम पुत्र अब्दुल रहमान
4. असलम पुत्र अब्दुल रहमान
5. फकीर पुत्र अब्दुल रहमान
6. अब्दुल करीम पुत्र बेली समस्त जाति धोबी निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।
7. कुशाल पुत्र उमाराम
8. पवन सैनी पुत्र ओमप्रकाश समस्त जाति माली निवासी बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।
9. तहसीलदार, डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–
1. श्री केशव ओझा एडवोकेट वादी।
2. श्री महेन्द्र खिलेरी एडवोकेट प्रतिवादी सं0 07 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 11.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 0.8900 हैक्टर मोजा रघुनाथपुरा पटवार हल्का पालोट वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी सुदा व स्वामित्व सुदा अवस्थित हैं, नकल खतौनी व ट्रेस नकश संलग्न है।

यह है कि खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 0.8900 में से खातुन पुत्री अलादीन व कालु पत्नी अलादीन का सम्पूर्ण हिस्से के 1/4 में से 2/3 हिस्सा खातुन व कालू का था अर्थात 0.1483 हैक्टर हैं जो पश्चिमी दिशा है। जिस हिस्से को वादी ने जरिये रजिस्ट्री खरीद कर नामान्तरण दर्ज करवा लिया हैं। जिसके पडौस निम्न हैं :–

उतर में –आम रास्ता डीडवाना से नागौर
दक्षिण में – गोविन्दलाल सोनी की भूमि
पूर्व में –इसी खसरे की शेष भूमि
पश्चिम में –गोविन्दलाल की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:55 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि वादी ने उक्त अपने खरीद सु[illegible]सुदा व कब्जे सुदा खेत जो नजरी नक्शे में मार्क ए बी[illegible] सुदा [illegible] दी। उसका खातेदारी का हैं। उक्त मार्क नजरी [illegible] अपने हिस्से पर काबिज बंट हिस्सा सींव कायम करते हुए बाड़ डाल [illegible] बंटवारा करवाना चाहता है काश्त हैं। उक्त हिस्से का वादी बाई मिट्स एण्ड बाउ[illegible] जिसके लिए वादी को वाद पत्र बाबत् बंटवारा पेश करना लाजमी आया हैं।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए बी सी दर्शित भाग हिस्सा बंट वादी का खातेदारी सुदा कब्जा सुदा अवस्थित हैं जिसका वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाना चाहता हैं। उक्त बंटवारा किये जाने में किसी भी प्रकार को कोई कानूनी बाधा नही हैं। इसलिए वादपत्र बाबत् बंटवारा पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

यह है कि वाद हैतुक दिनांक 06--07--2020 को नकल खतौनी लेने पर उक्त विधिवत बंटवारा नही होने की जानकारी होने से व वादी व प्रतिवादी के सह खातेदारी होने की वजह से मोजा रघुनाथपुरा होकर अन्दर हाजा जारी हैं।

यह है कि वादीगण की प्रार्थना निम्न है :– यह है कि इस आशय की डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगणं जारी फरमावें कि मौजा रघुनाथपुरा खसरा नम्बर 112 रकबा 0.8900 हैक्टर मे से 1/4 में से 2/3 हिस्सा अर्थात 0.1483 हैक्टर जो पश्चिमी दिशा में वादी का बंट में आया है जो नजरी नक्शा मार्क ए बी सी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर उक्त अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड अमल दरादगी करने की घोषणा फरमावे।

यह है कि अन्य अनुतोष जो वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण हो अता फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 06 व 9 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी सं0 07 की तरफ से जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया।

बहस उभ्य पक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया। वादी का वाद डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा रघुनाथपुरा के खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 0.8900 हैक्टर मे से 1/4 में से 2/3 हिस्सा अर्थात 0.1483 हैक्टर, जो पश्चिमी दिशा में वादी के बंट में आया है, जिसमें नजरी नक्शां मार्क ए बी सी की भूमि में वादी को स्वतंत्र कास्तकार घोषित किया जाता है।

नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **11.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 13/7/22

नोट:- निर्णय, डिक्री [illegible] में मौजा रघुनाथपुरा [illegible] रकबा 0.8900 है0 में [illegible] अर्थात 0.1186 है0 पढ़ा व समझा जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:31:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 119/2020 दायर दिनाँक 09.07.2020

वादी

1. गोविन्दलाल सोनी पुत्र गणपतलाल उम्र 52 वर्ष, जाति सोनी निवासी शिव कॉलोनी नागौर रोड़, डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. रजाक पुत्र अब्दुल रहमान
2. सलीम पुत्र अब्दुल रहमान (फौत)
2/1 मुन्नी पत्नि सलीम
2/2 अकबर अली पुत्र सलीम
2/3 मो0 रहमान पुत्र सलीम
2/4 मो0 सकील पुत्र सलीम
2/5 सदाम पुत्र सलीम
2/6 हीना पुत्री सलीम
2/7 रूकसार पुत्री सलीम
3. कासम पुत्र अब्दुल रहमान
4. असलम पुत्र अब्दुल रहमान
5. फकीर पुत्र अब्दुल रहमान
6. अब्दुल करीम पुत्र बेली समस्त जाति धोबी निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।
7. कुशाल पुत्र उमाराम
8. पवन सैनी पुत्र ओमप्रकाश समस्त जाति माली निवासी बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।
9. तहसीलदार, डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 11.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री केशव ओझा एडवोकेट वादी व श्री महेन्द्र खिलेरी एडवोकेट प्रतिवादी सं0 07 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा रघुनाथपुरा के खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 0.8900 हैक्टर मे से 1/4 में से 2/3 हिस्सा अर्थात 0.1483 हैक्टर, जो पश्चिमी दिशा में वादी के बंट में आया है, जिसमें नजरी नक्शा मार्क ए बी सी की भूमि में वादी को स्वतंत्र कास्तकार घोषित किया जाता है।

नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

खर्चा इस मुकदद्में के मय सूद व शरह............–............ मुबलिंग............–............... बाबत.....................–..................... नीज..........–.......... तारीख को अदा करें।

आज की तारीख 06.0[illegible]22 को सरे इजलास बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

दिनांक :- 13/7/22

नोट :- निर्णय, डिक्री एवं नक्शा नजरी में मौजा रघुनाथपुरा के खसरा सं. 112 रकबा 0.8500 हे० में के 45 में से 2/3 हिस्सा अर्थात 0.1186 हे० पढ़ा व समझा जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner